बिहार सरकार
समाहरणालय, लखीसराय
(जिला योजना कार्यालय)

TELE: 06346 232153
EMAIL: lakhisaraidpo@gmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 05/17-18

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा लखीसराय जिला के ओलीपुर ग्राम के पुस्तकालय भवन में आलमीरा (बुक-सेल्फ) की आपूर्ति हेतु वर्ष 2016-17 के लिए अनुशंसा प्राप्त है। उक्त अनुशंसा के आलोक में बुक-सेल्फ आपूर्ति हेतु द्वि-लिफाफा प्रणाली अन्तर्गत मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। पहला लिफाफा तकनीकी बिड एवं दुसरा लिफाफा वित्तीय बिड का होगा। लिफाफों पर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिखना अनिवार्य होगा। दोनों सीलबन्द लिफाफों को एक अन्य सीलबन्द लिफाफे के अन्दर रखा जायेगा। सभी लिफाफों पर निविदादाताओं को अपने प्रतिष्ठिान का नाम अंकित करना होगा। लिफाफा बिल्कुल सीलबन्द होना अनिवार्य है। तकनीकी बिड के साथ अग्रधन की राशि के रूप में रूपये 10,000.00 (दस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा कोई भी प्रतिष्ठान/अधिकृत विक्रेता/निर्माता जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक-15.09.2017 के 3:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, लखीसराय में जमा किया जाना है, उसी दिन 4:00 बजे अपराह्न में जिला पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यालय कक्ष में निर्णय हेतु क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। निविदा की विस्तृत विवरणी एवं शर्तें लखीसराय जिले के वेबसाईट http:// lakhisarai.bih.nic.in पर देखी जा सकती है। किसी भी शंका समाधान हेतु कार्यालय अवधि के दौरान अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

आपूर्ति की जानेवाली आलमीरा (बुक-सेल्फ) का आकार निम्नवत् होनी चाहिए :-

उपस्कर का नाम एवं प्रकार	आकार
आलमीरा (बुक-सेल्फ) के सभी Compartment Lock सहित	66''x34''x12''
	Four Compartment
	Front Side glass
	Fitting Cr Sheet 22 gage

तकनीकी निविदा की शर्तें:-

1. निविदादाता को बिहार कारखाना प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में 10,000.00 (दस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, लखीसराय के पदनाम से लखीसराय स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतेय संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3. निविदा के साथ निविदादाताओं को GST निबंधन की छाया प्रति संलग्न करना होगा

4. वर्ष 2016–17 का आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाताओं द्वारा सम्बंधित फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं रहने सम्बन्धी शपथ पत्र मुल में देना अनिवार्य होगा।

6. निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
7. लघु उद्योग इकाई द्वारा प्रदत्त लाइसेंस की छायाप्रति अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तें:–

1. दर के साथ–साथ सामग्री की विशिष्टियों का भी उल्लेख फोटोग्राफ के साथ करना अनिवार्य है।
2. दर में सभी प्रकार का कर सम्मलित करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्तें :–

1. आपूर्ति किये गये सभी आलमीरा (बुक–सेल्फ) पर योजना का नाम निविदादाता को अंकित करना होगा।
2. निविदादाताओं को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
3. निविदा के स्वीकृति के उपरान्त सफल निविदादाताओं को एकरारनामा करना होगा तथा निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्रियों की आपूर्त्ति करनी होगी।

जिला योजना पदाधिकारी
लखीसराय।

ज्ञापांक 507 दिनांक 17-8-17

प्रतिलिपिः–जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिला लखीसराय के वेवसाईड पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित अनुरोध है कि कम से कम किसी दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में निविदा प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः– श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी
लखीसराय।